

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2167
01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएफएचएस डेटा में विलंब

2167. श्री इमरान मसूद:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के 2024 तक आंकड़े और मातृत्व मृत्यु अनुपात (एमएमआर) जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं;
- (ख) सरकार द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़ों का समय पर और पारदर्शी रूप से जारी किया जाना सुनिश्चित करने हेतु साक्ष्य-आधारित नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएच+एन) जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहलों पर इस आंकड़े को जारी करने में विलंब का क्या प्रभाव होगा; और
- (घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) लगभग तीन वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नामक एक एकीकृत सर्वेक्षण आयोजित करता है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और संबंधित क्षेत्रों जैसे जनसंख्या की विशेषताएँ; प्रजनन क्षमता और प्रजनन संबंधी प्राथमिकताएँ; परिवार नियोजन; शिशु एवं बाल मृत्यु दर; मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य; पोषण; रुग्णता और स्वास्थ्य सेवा; महिला सशक्तिकरण आदि संबंधी आँकड़े प्रदान करता है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं के प्रदर्शन की निगरानी के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्व का डाटा स्रोत है। एन. एफ. एच. एस.-5 का आयोजन वर्ष 2019 से 2021 के दौरान किया गया था और इसकी रिपोर्ट वर्ष 2022 में जारी की गई थी। एन. एफ. एच. एस.-6 को समय पर शुरू किया गया है। मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) उन संकेतकों में से एक है जो नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के परिणामस्वरूप होता है। नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस. आर. एस.) दुनिया के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों में से एक है जिसमें देश के 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली लगभग 84 लाख जनसंख्या शामिल है। नवीनतम प्रकाशन वर्ष 2020 से 2022 की अवधि के लिए है और इसे <https://censusindia.gov.in/census.website/data/SRSMMB> लिंक पर देखा जा सकता है।

मंत्रालय नोडल एजेंसी के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और प्रगति की निगरानी तथा मध्यवर्ती कार्रवाइयों की देखरेख के लिए उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करके एनएफएचएस डेटा का समय पर और पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करता है। पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करने के लिए, एनएफएचएस के अलग-अलग आंकड़े आमतौर पर फैक्टशीट और रिपोर्ट में इकाई स्तर के आंकड़ों के साथ जारी किए जाते हैं। नीति निर्माताओं के लिए आंकड़ों का समय पर और पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करके, मंत्रालय ने इन जनसांख्यिकी में स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएच + एन) रणनीति के तहत कई पहलों को लागू किया है। प्रमुख कार्यक्रमों/पहलों में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), लक्ष्य कार्यक्रम, वितरण केंद्र, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी), दाई सेवा पहल (मिडवाइफरी सर्विसेज इनिशिएटिव), पोषण अभियान आदि शामिल हैं।
